



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271852
CG-DL-E-16042026-271852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]
No. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2026

फा. सं. 18/1/बीईई/डिस्कॉम/2026.— ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपखंड (थ) के साथ पठित, धारा 58 की उपधारा (2) के उपखंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो) की तारीख 6 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 18/1/बीईई/डिस्कॉम/2021 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात् तारीख 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा किए गए संशोधन को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित प्रारूप विनियम बनाने का प्रस्ताव करती है;

प्रारूप विनियम को उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना देने और उनके सुझाव तथा आक्षेपों (यदि कोई हों) मांगे जाने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियम पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, तो उसे महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, सेक्टर -1, नई दिल्ली-110066 को डाक या helpdesk@beeindia.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों को, जो उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि का अवसान होने से पहले प्राप्त हो सकते हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार में लिया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा और ऊर्जा लेखांकन) विनियम, 2026 है।
 - (2) ये विनियम अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट सभी विद्युत वितरण कंपनियों को लागू होंगे।
 - (3) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा का संचालन** (1) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी एक प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षा फर्म के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा संचालित करेगी।
 - (2) वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट सूचक संरचना और उपाबंध-3 में विनिर्दिष्ट रूपविधान के अनुसार तैयार की जाएगी।
 - (3) रिपोर्ट सुसंगत वित्तीय वर्ष के अवसान से चार मास की अवधि के भीतर ब्यूरो और संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।
 - (4) जहां इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् कोई नई विद्युत वितरण कंपनी स्थापित की जाती है, ऐसी विद्युत वितरण कंपनी अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित होने की तारीख से पहले वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर अपनी पहली वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा संचालित करेगी।

स्पष्टीकरण — यदि किसी भी अस्तित्व का सृजन विलयन, डिमर्जर, मंदा की विक्री, अधिग्रहण, नियंत्रण परिवर्तन या किसी अन्य कॉर्पोरेट पुनर्रचना के परिणामस्वरूप, या किसी विद्यमान विद्युत वितरण कंपनी को शामिल करते हुए किया गया है, तो ऐसे अस्तित्व को इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए नई विद्युत वितरण कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा।
3. **त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन कार्य का संचालन** (1) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट रूपविधान के अनुसार अपने ऊर्जा प्रबंधक के माध्यम से वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन करेगी।
 - (2) त्रैमासिक ऊर्जा लेखा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के समापन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर ब्यूरो और संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।
4. **मॉनीटरी और सत्यापन** (1) प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षा फर्म, ऊर्जा लेखा परीक्षा करते समय, निम्नलिखित के संबंध में डाटा का सत्यापन, विश्लेषण और प्रक्रिया करेगी—
 - (i) डाटा की निरंतरता और सटीकता; तथा
 - (ii) बिजली वितरण कंपनी के लिए हानियों में कमी लाना।

- (2) वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ऊर्जा के रिसाव, बर्बादी या अकुशल उपयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी ताकि लक्ष्य आधारित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके।
- (3) विद्युत वितरण कंपनी, त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन और वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा से संबंधित सभी सहायक अभिलेख अनुरक्षित करेगी और ऐसे अभिलेख ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, राज्य अभिहित अभिकरण या किसी प्राधिकृत अभिकरण को जब भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगी।

कृष्ण चंद्र पाणिग्रही, महानिदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./38/2026-27]

उपाबंध-1

वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट की सांकेतिक संरचना-

1. कार्यपालिका सारांश:

- (क) वितरण हानियों की प्रवृत्ति।
- (ख) मीटरिंग अवसंरचना का अवलोकन।
- (ग) ऊर्जा लेखा परीक्षा ब्यौरा
- (घ) ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा समीक्षात्मक विश्लेषण का सारांश।

2. वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा के बारे में ब्यौरा:

- (क) ऊर्जा लेखा परीक्षा की अवधि।
- (ख) लेखा परीक्षक का ब्यौरा

3. वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के बारे में संक्षिप्त विवरण

4. ऊर्जा लेखा परीक्षा निष्कर्ष:

- (क) ऊर्जा दक्ष उपकरण अपनाना।
- (ख) समीक्षात्मक विश्लेषण।

5. निष्कर्ष और कार्य योजना:

- (क) ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तावित समीक्षात्मक विश्लेषण का सार और आगे का रास्ता।
- (ख) प्रमुख निष्कर्षों का सारांश - ऊर्जा संतुलन और हानियां।
- (ग) सिफारिशें और सर्वोत्तम पद्धतियां।

6. उपाबंध:

- (क) वितरण कंपनी (डिस्कॉम) अधिकारियों के साथ एमओएम।
- (ख) इस विनियम का उपाबंध-2 और उपाबंध-3

उपाबंध-2

त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन के लिए प्ररूप- विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा पूरा किया जाना -

वितरण कंपनी (डिस्कॉम) - ऊर्जा लेखांकन त्रैमासिक रिपोर्ट प्रोफार्मा						
सूचना की अवधि - तारीख/मास/वर्ष - से - तारीख/मास/वर्ष						
1.	वितरण कंपनी (डिस्कॉम) का नाम					
2.	वितरण कंपनी (डिस्कॉम) प्रमुख का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, ईमेल आईडी					
3.	नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नं. ईमेल आईडी					
4.	मापदण्ड	11 किलोवोल्ट (केवी) और उससे ऊपर		लो टेंशन (एलटी)		
i.	उपभोक्ता स्तर पर उपलब्ध मीटरिंग का कुल प्रतिशत					
5.	उपभोक्ता प्रोफाइल	उपभोक्ताओं की संख्या		खपत (मिलियन यूनिट)		
		मीटर वाले	बिना मीटर वाले	मीटर वाले	बिना मीटर वाले	कुल
i.	घरेलू					
ii.	वाणिज्यिक					
iii.	औद्योगिक/वाणिज्यिक (लो टेंशन) (एलटी)					
iv.	औद्योगिक/वाणिज्यिक (हाई टेंशन) (एचटी)					
v.	अन्य (हाई टेंशन) (एचटी)					
vi.	अन्य (लो टेंशन) (एलटी)					
6.	वितरण हानि	विशिष्टियां				
		वितरण कंपनियों की परिधि पर शुद्ध ऊर्जा इनपुट (मिलियन यूनिट) (एमयू)				
		कुल बिल की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट) (एमयू)				
		वितरण हानि % में और मिलियन यूनिट				
मैं/हम वचन देते हैं कि इस दस्तावेज़ और प्रोफार्मा में प्रदत्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।						
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर		हस्ताक्षर:-				

उपाबंध-3

वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए प्ररूप – प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक और विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूरा किया जाना है-

वितरण कंपनी (डिस्कॉम) वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का ब्यौरा					
सूचना की अवधि - तारीख/मास/वर्ष से तारीख/मास/वर्ष					
क	वितरण कंपनी (डिस्कॉम) का नाम				
ख	वितरण कंपनी (डिस्कॉम) प्रमुख का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता		ईमेल आईडी		
ग. i	नोडल अधिकारी का नाम (वितरण कंपनी (डिस्कॉम) में अभिहित)				
ii	पदनाम				
iii	मोबाइल नंबर		ईमेल आईडी		
2	उपभोक्ताओं और अवसंरचना की वोल्टेज वार मीटरिंग प्रास्थिति का ब्यौरा				
	मापदण्ड	>33 किलो वोल्ट	33 किलो वोल्ट	11/22 किलो वोल्ट	लो टेंशन
क i.	मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या				
ii	बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या				
iii	कुल उपभोक्ताओं की संख्या				
iv	उपभोक्ता स्तर पर % मीटरिंग।				
ख i.	मीटर वाले फीडरों की संख्या				
ii	बिना मीटर वाले फीडरों की संख्या				
iii	फीडरों की कुल संख्या				
iv	फीडर स्तर पर मीटरिंग का प्रतिशत				
3	उपभोक्ता उपभोग प्रोफ़ाइल				
	उपभोक्ता प्रवर्ग		उपभोक्ताओं की संख्या	खपत (एमयू)	टिप्पणी
क	घरेलू	मीटर वाले			
		बिना मीटर वाले			
ख	वाणिज्यिक	मीटर वाले			
		बिना मीटर वाले			
ग	औद्योगिक/वाणिज्यिक (लो टेंशन)	मीटर वाले			
		बिना मीटर वाले			
घ	औद्योगिक/वाणिज्यिक (हाई टेंशन)	मीटर वाले			
		बिना मीटर वाले			
ड.	अन्य (हाई टेंशन)	मीटर वाले			
		बिना मीटर वाले			
च.	अन्य (लो टेंशन)	मीटर वाले			
		बिना मीटर वाले			

6													
प्रभाग वार हानियां													
क्रम सं.	प्रभाग का नाम	उपभोक्ता प्रोफ़ाइल					ऊर्जा मापदण्ड				हानियां		
		उपभोक्ता प्रवर्ग	उपभोक्ताओं की संख्या (मीटर वाले)	उपभोक्ताओं की संख्या (बिना मीटर वाले)	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	उपभोक्ता प्रवर्ग का %	कुल इनपुट ऊर्जा (एमयू)	बिल की गई ऊर्जा (एमयू)			ऊर्जा खपत का %	पारेषण और वितरण हानि (टी एंड डी) (मिलियन यूनिट में)	पारेषण और वितरण हानि (%)
							मीटर की गई ऊर्जा	मीटर न की गई ऊर्जा	कुल ऊर्जा				
क		आवासीय											
		कृषि											
		वाणिज्यिक/ औद्योगिक-लो टेंशन											
		वाणिज्यिक/ औद्योगिक-हाई टेंशन											
		अन्य											
		उप योग											
ख		आवासीय											
		कृषि											
		वाणिज्यिक/ औद्योगिक-लो टेंशन											
		वाणिज्यिक/ औद्योगिक-हाई टेंशन											
		अन्य											
		कुल (वितरण कंपनी स्तर पर)											
टिप्पण: कृपया सभी प्रभागों का ब्यौरा प्रदान करें													
मैं/हम बचन देते हैं कि इस दस्तावेज और प्रोफार्मा में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और प्रदत्त किसी भी जानकारी को गलत पाया जाता है तो मैं/हम इसके लिए उत्तरदायी होंगे।													
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर						हस्ताक्षर:-							

**BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
DRAFT NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2026

F. No. 18/1/BEE/DISCOM/2026.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 58, read with clause (q) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), (hereinafter referred to as the Act) and in supersession of the notification of the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) published vide number 18/1/BEE/DISCOM/2021, dated the 6th October, 2021 and its subsequent amendment vide dated the 28th October, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby proposes to make the following draft regulations;

The draft regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi-110066, through post or email at helpdesk@beeindia.gov.in.

Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above, shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

Draft Regulations

- 1. Short title, application and commencement.** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Energy Audit and Energy Accounting in Electricity Distribution Companies) Regulations, 2026.
(2) These regulations shall apply to all electricity distribution companies specified as designated consumer.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Conduct of annual energy audit.** (1) Every electricity distribution company shall conduct an annual energy audit for every financial year through an accredited energy auditing firm.
(2) The annual energy audit report shall be prepared in accordance with the indicative structure specified in Annexure-I and as per the format specified in Annexure-III.
(3) The report shall be submitted to the Bureau and respective State Designated Agency within a period of four months from the expiry of the relevant financial year.
(4) Where a new electricity distribution company is established after the commencement of these regulations, such electricity distribution company shall conduct its first annual energy audit on completion of the first financial year from the date of being notified as designated consumer.
Explanation. — If any entity created as a result of merger, demerger, slump sale, acquisition, change of control or any other corporate restructuring of, or involving, any existing electricity distribution company, such entity shall not be considered as a new electricity distribution company for the purposes of this sub-regulation.
- 3. Conduct of quarterly energy accounting.** (1) Every electricity distribution company shall undertake quarterly energy accounting for each quarter of the financial year through its energy manger as per the format specified in Annexure-II.
(2) the quarterly energy accounting report shall be submitted to the Bureau and respective State Designated Agency within forty-five days from the date of the closure of each quarter of the financial year.
- 4. Monitoring and Verification** (1) The accredited energy auditing firm, while carrying out the energy audit shall verify, analyse and process the data with respect to—
(i) consistency and accuracy of data; and
(ii) reducing losses for the electricity distribution company.
(2) The annual energy audit report shall identify the areas of energy leakage, wastage or inefficient use for initiating target based corrective action.
(3) The electricity distribution company shall maintain all supporting records relating to quarterly energy accounting and annual energy audit and shall make such records available to the Bureau of Energy Efficiency, State Designated Agency or any authorised agency, as and when required.

KRUSHNA CHANDRA PANIGRAHY, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./38/2026-27]

Annexure-I**Indicative Structure of Annual Energy Audit Report—**

1. Executive Summary:
 - (a) Trend of Distribution losses.
 - (b) Overview of Metering Infrastructure.
 - (c) Energy Audit Details.
 - (d) Summary of Critical Analysis by Energy Auditor.
2. Details about Annual Energy Audit:
 - (a) Period of Energy Audit.
 - (b) Details of Auditor.
3. Brief about DISCOM.
4. Energy Audit findings:
 - (a) Energy efficient equipment adoption.
 - (b) Critical Analysis.
5. Conclusion and Action Plan:
 - (a) Summary of critical analysis and way forward proposed by Energy Auditor.
 - (b) Summary of key findings – energy balance and losses.
 - (c) Recommendations and best practices.
6. Annexures:
 - (a) MoM with DISCOM officials.
 - (b) Annexure-II and Annexure-III of this regulation.

Annexure-II

Form for Quarterly Energy Accounting - to be completed by the Electricity Distribution Company (DISCOM)—

DISCOM - Energy Accounting Quarterly Report Proforma					
Period of Information - DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY					
1.	Name of the DISCOM				
2.	Name of DISCOM Head, Designation, Office Address, Email ID				
3.	Nodal Officer Name, Designation, Mobile No. Email ID				
4.	Parameters	11 Kilovolt (KV) and above		Low Tension (LT)	
i.	Total % of metering available at consumer Level				
5.	Consumer Profile	Number of Consumers		Consumption (Million Units)	
		Metered	Unmetered	Metered	Unmetered
i.	Domestic				
ii.	Commercial				
iii.	Industrial/Commercial (Low Tension) (LT)				
iv.	Industrial/Commercial (High Tension) (HT)				
v.	Others (HT)				
vi.	Other (LT)				
6.	Distribution Losses	Particulars			
		Net Energy Input at DISCOM's Periphery (Million Units) (MU)			
		Total Billed Energy (Million Units) (MU)			
		Distribution Losses in % and Million Units			
I/We undertake that the information supplied in this Document and Pro-forma is accurate to the best of my knowledge.					
Authorised Signatory and Seal		Signature:-			

Annexure-III

Form for Annual Energy Audit - to be completed by the Accredited Energy Auditor and the Electricity Distribution Company—

DISCOM Annual Energy Audit Report Submission Details					
Period of Information - DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY					
A	Name of the DISCOM				
B	Name of DISCOM Head, Designation, Office Address		Email Id		
C.i	Nodal Officer Name (Designated at DISCOM's)				
ii	Designation				
iii	Mobile Number		Email Id		
2	Details of Voltage wise Metering status of Consumers and Infrastructure				
	Parameters	>33KV	33kV	11/22kV	LT
A i.	Number of metered consumers				
ii	Number of unmetered consumers				
iii	Number of total consumers				
iv	% metering at consumer level.				
B.i.	Number of metered feeders				
ii	Number of unmetered feeders				
iii	Number of total feeders				
iv	% metering at feeders level.				
3	Consumer Consumption Profile				
	Consumer Category		Number of Consumers	Consumption (MU)	Remark
A	Domestic	Metered			
		Unmetered			
B	Commercial	Metered			
		Unmetered			
C	Industrial/ Commercial (LT)	Metered			
		Unmetered			
D	Industrial/ Commercial (HT)	Metered			
		Unmetered			
E	Others (HT)	Metered			
		Unmetered			
F	Other (LT)	Metered			
		Unmetered			
	Total	Metered			
		Unmetered			
G	Assessed (Million Units) (MU) % of Total (Million Units) (MU)				

6														
Division Wise Losses														
S.No.	Name of Division	Consumers Profile					Energy Parameters					Losses		
		Consumer category	No of Consumers (metered)	No of Consumers (Un-metered)	Total Number of Consumers	% of consumer category	Total Input Energy (MU)	Billed energy (MU)			% of Energy Consumption	Transmission & Distribution loss (T&D) in (MU)	T&D loss (%)	
								Metered Energy	Unmetered/ Assessment Energy	Total Energy				
A		Residential												
		Agricultural												
		Commercial/ Industrial-LT												
		Commercial/ Industrial-HT												
		Others												
		Sub Total												
B...		Residential												
		Agricultural												
		Commercial/ Industrial-LT												
		Commercial/ Industrial-HT												
		Others												
		Total (at DISCOM Level)												
Note: Please provide details of all the divisions														
I/We undertake that the information supplied in this Document and Pro-forma is accurate to the best of my knowledge and if any of the information supplied is found to be incorrect														
Authorised Signatory and Seal										Signature:-				